राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

(साधारण बीमा निधि)

द्वितीय तल, डी–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– जीआईएफ/जीआई.एस./एस एस आई/अनु./18-13/11-60 दिनांकः– 28/04/2020

परिपत्र-1/2020-21

राज्य के निजी विद्यालयों, राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों, तकनीकी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के दुर्घटना बीमा हेतु इस विभाग द्वारा पूर्व से संचालित विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में वित्तीय सत्र 2020–21 से आंशिक संशोधन करते हुए यह योजना दिनांक 01.04.2020 से निम्नानुसार लागू की जाती है:–

1. योजनाः– राज्य के अनुदानित एवं गैर अनुदानित विद्यालयों,राजकीय/निजी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों की दशा में विद्यार्थियों के माता/पिता/संरक्षक/पति/पत्नी (वैध मनोनीत)को बीमा आवरण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि)द्वारा वर्ष 2002–03 से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। यह योजना वर्तमान में निम्नानुसार प्रचलित है :–
2. योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दुः–

i. योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) के जिला कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है।

ii. इस योजना के अन्तर्गत निम्न श्रेणियां प्रचलित है :–

क.सं.	बीमित ग्रुप	प्रीमियम प्रति छात्र (कर सहित)	बीमा धन (रू.)
1.	कक्षा नर्सरी से आठवीं तक	25/–रू0	50,000
2.	कक्षा 9 से 12वीं तक	50/– रू0	1,00,000
3.	समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तकनीकी एवं उच्च शिक्षा	100/–रू0	2,00,000

iii. विभाग के जिला कार्यालयों को प्रीमियम प्राप्त होने की दिनांक से पॉलिसी एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी तथा पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व आगामी वर्ष हेतु प्रीमियम प्राप्त होने पर प्रीमियम प्राप्ति की दिनांक से नई पॉलिसी जारी की जा सकेगी । शिक्षण संस्था द्वारा इस विभाग में प्रीमियम राशि जमा कराने की दिनांक से ही जोखिम वहन की जाएगी। यदि शिक्षण संस्था द्वारा विद्यार्थी से प्रीमियम राशि की वसूली कर ली गई है किन्तु प्रीमियम इस विभाग में देरी से जमा कराया गया है तो प्रीमियम जमा कराने की तिथि से पूर्व दुर्घटना मृत्यु/क्षति की स्थिति में पॉलिसी के तहत भुगतान नहीं किया जायेगा ।

Scanned with CamScanner